समाहरणालय, जमुई
(जिला विकाश शाखा)

विद्युत ठिकेदार, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन, तार मिस्त्रीयों के लाईसेन्स प्राप्त करने से संबंधित सूचना।

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार पटना के अधिसूचना संख्या–276/सा0को0, दिनांक–08.07.2013 एवं जिला स्तरीय लाईसेन्सींग बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 के उपधारा (2बी0) के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम–2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति सम्बधी उपाय) के विनियम–29 के आलोक में गठित लाईसेन्सिग बोर्ड द्वारा विद्युत ठीकेदार, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन/तार मिस्त्रीयों के लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। इच्छुक अभ्यार्थी का विहित प्रपत्र में आवेदन किसी भी कार्य दिवस पर वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी विद्युत के कार्यालय समाहरणालय, जमुई से प्राप्त कर सकते है। विद्युत ठीकेदार, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन/तार मिस्त्रीयों के लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु योग्यता निम्नवत है :–

विद्युत ठिकेदार हेतु योग्यता

6. दो परमिटधारी तारमिस्त्री तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. लगातार तीन वर्षो तक नवीकरण नहीं किये गये तो लाईसेन्स बोर्ड द्वारा रद्द कर दिये जायेगें।
8. ठीकेदार अनुज्ञा पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण पत्र की सीमा के अन्तर्गत होगा।
9. ठीकेदार अनुज्ञा पत्र किसी फर्म अथवा किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर लिया जा सकेगा इस के लिए तीन अभिप्रमाणित फोटो एवं दो संभ्रान्त व्यक्तियों का पहचान देना होगा।
10. इसके लिए 250.00 रूपये (दो सौ पच्चस) का डी0डी0/चेक जिलाधिकारी–सह अध्यक्ष विद्युत लाईसेन्सींग बोर्ड जमुई के पदनाम से देना होगा।

विद्युत पर्यवेक्षक हेतु योग्यता

11. विद्युत अभियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त।
12. विद्युत डिप्लोमा प्रमाण एवं दो वर्षो का विद्युत कार्य अनुभव
13. दो वर्षीय इलेक्ट्रिशियन/वायर मैन ट्रेड (आई0 टी0 आई0) में उत्तीर्ण के साथ चार वर्षो का विद्युत संयत्रों का रख रखाव का ज्ञान।
14. मैट्रिक या समकक्ष के बाद छः वर्षो का विद्युत सयंत्रों का रख रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान
15. सचरित्रता प्रमाण पत्र पाँच वर्षो का उत्तरदायी व्यक्ति का होना।
16. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
17. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
18. इसके लिए 100.00 रूपये (एक सौ) का डी0डी0/चेक जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष विद्युत लाईसेन्सींग बोर्ड जमुई के पदनाम से देना होगा।
19. तीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
20. अवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

तार कर्मी हेतु योग्यता

8. विद्युत संबंधित कार्य का एक वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा।
9. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
10. चरित्रता प्रमाण पत्र पाँच वर्षो का उतरदायी व्यक्ति का आवश्यक होगा।
11. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
12. इसके लिए 250.00 रूपये (दो सौ पच्चास) रूपये का फीस डी0डी0/चेक जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष विद्युत लाईन्सींग बोर्ड जमुई के पदनाम से देना होगा।
13. तीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
14. अवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

दिनांक 21-6-17 से संध्या 5:00 बजे तक आवेदन हाथों हाथ या निबंधित डाक से वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी विद्युत, जिला विकास शाखा समाहरणालय, जमुई के पदनाम से भेजा जा सकता है।

ह0

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष
विद्युत लाईसेन्सींग बोर्ड, जमुई।

ज्ञापांक :–　　　　　दिनांक :–

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष
विद्युत लाईसेन्सींग बोर्ड, जमुई।

ज्ञापांक E-01/17-86　　दिनांक– 07.06.17

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिला के अधिकारिक वेब साईट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

7/6/17

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष
विद्युत लाईसेन्सींग बोर्ड, जमुई।